

राजस्थान सरकार
पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.4(3)निपेचि/स्था/2014/पार्ट-7/

दिनांक

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(5)एफडी(नियम)/98 दिनांक 11.06.1998 के अन्तर्गत प्री 88 पेंशन रिविजन के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभागों को तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया जाता है। जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में यह कार्य संबंधित पीआर अनुभागों द्वारा निस्तारित किये जाएँगे।

८०/
(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांक: प.4(3)निपेचि/स्था/2014/पार्ट-7/ ६४-७७ R

दिनांक 1-५-२०२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर।
2. विशेषाधिकारी, पेंशन शिकायत एवं मालना प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
3. संयुक्त निदेशक, संस्थापन, कार्यालय हाजा।
4. उप/सहायक निदेशक, पीआर -
5. ~~इनालिस्ट~~ कम प्रोग्रामर निदेशालय पेंशन को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6. राष्ट्रीय पत्रावली।

२६/२
अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)